

फाईनल डिक्ली व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 21 रूल 0.7 जाबा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)
बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|------|---|
| रगाराम पुत्र नवीया जाति सरगडा निवासी पालडीएम तह0 शिवगंज जिला सिरोही | | 1. अम्बालाल पुत्र लखमाजी 2. छोगाराम पुत्र लखमाजी 3. जोराराम पुत्र लछाजी 4. पदमा पत्नी टेकाराम 5. प्रताप पुत्र भीमाजी 6. पोपी पत्नी पुनमाजी 6/1-हिरकी पुत्री पुनमाजी के कायम मुकाम 6/1/1-अशोक कुमार चौहान पुत्र मनोहरलाल 6/1/2-भरतकुमार चौहान पुत्र मनोहरलाल 7. बाबराराम पुत्र लखमाजी 8. बावरिया पुत्र पुनमाजी 9. भगा पुत्र भीमाजी 10. राधा पत्नी भीमाजी 10/1-सीताबाई पुत्री भीमाराम 11. लुम्बाराम पुत्र लछाजी 12. लादुराम पुत्र टेकारामजी 13. वरदाराम पुत्र टेकारामजी 14. विमला पत्नी वचनाराम जी 15. सवा पुत्र भीमाजी 16. सोनाराम पुत्र पुनमाजी समस्त जातियान सरगडा निवासीगण पालडीएम तह0 शिवगंज जिला सिरोही 17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज 18. राज0 मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा पालडी एम |

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राव

विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चित्तारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं0- 14/2024

दिनांक 18.02.2025

वादी व समस्त प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित। वादग्रस्त भूमि मौजा पालडीएम तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 155, 157, 158 रकबा कमशः 0.0890, 0.2185, 10.2062 कुल किंता 3 कुल रकबा 10.5137 हेक्टर भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा आपसी सहमति से पेश किया, अतः वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्ली किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को वादग्रस्त भूमि मौजा पालडीएम तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 155, 157, 158 रकबा कमशः 0.0890, 0.2185, 10.2062 कुल किंता 3 कुल रकबा 10.5137 हेक्टर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्ली आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (सिरोही) (पि.डी.ओ.)
शिवगंज

| मुकदमें | रूपया / पै. | मुद्रायलाह | रूपया / पैसे |
|---|-------------|--|--------------|
| स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबत इजराय हुक्मनामा मीजान | -शून्य- | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान | |

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 29
प्रतिलिपि पालनार्थः-
तहसीलदार, शिवगंज।

दिनांक 18.02.2025
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

रगाराम पुत्र नवीया जाति सरगडा
निवासी पालडीएम तह0 शिवगंज
जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अम्बालाल पुत्र लखमाजी
2. छोगाराम पुत्र लखमाजी
3. जोराराम पुत्र लछाजी
4. पदमा पत्नी टेकाराम
5. प्रताप पुत्र भीमाजी
6. पोपी पत्नी पुनमाजी
- 6/1-हिरकी पुत्री पुनमाजी के कायम मुकाम
- 6/1/1-अशोक कुमार चौहान पुत्र मनोहरलाल
- 6/1/2-भरतकुमार चौहान पुत्र मनोहरलाल
7. बाबराराम पुत्र लखमाजी
8. बाबरिया पुत्र पुनमाजी
9. भगा पुत्र भीमाजी
10. राधा पत्नी भीमाजी
- 10/1-सीताबाई पुत्री भीमाराम
11. लुम्बाराम पुत्र लछाजी
12. लादुराम पुत्र टेकारामजी
13. वरदाराम पुत्र टेकारामजी
14. विमला पत्नी वचनाराम जी
15. सवा पुत्र भीमाजी
16. सोनाराम पुत्र पुनमाजी
- समस्त जातियान सरगडा निवासीगण पालडीएम
तह0 शिवगंज जिला सिरोही
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज
18. राज0 मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा पालडी एम

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राव

विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चित्तारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 14/2024

—:निर्णय:—

दिनांक 18.02.2025

वादी व समस्त प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर आपसी सहमति से बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना बंटवाड प्रस्ताव तैयार कर वादग्रस्त भूमि मौजा पालडीएम तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 155, 157, 158 रकबा कमशः 0.0890, 0.2185, 10.2062 कुल किता 3 कुल रकबा 10.5137 हेक्टर भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया, जिस पर उभ्रय पक्षकारान द्वारा सहमत होने से सहमति प्रदान की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर आपसी सहमति से पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। आपसी सहमति से पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिव हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



कमांक/कोर्ट/2025/ 28
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
दिनांक 18.02.2025

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
शिवगंज (सिरोही)